

- 03 -

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

04-06-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-5-30/2013 में आवेदक मो० आफताब आलम, पिता-मो० हबीबुर्रहमान, सा०-33 सदर गली, बनवारी टोला, थाना-खाजेकलां, जिला-पटना से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन माँगा गया और सुनवाई की तिथि 04.06.2013 निर्धारित की गयी।

सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना का तामिला आवेदक को कराये जाने के बावजूद आवेदक उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के द्वारा लिखित बयान न्यायालय को भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में विधि संगत निर्णय लिया जाय। अंकनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आवेदक की रिट याचिका सं०-767/2013 में दिनांक-16.01.2013 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है :-

"In view of the submission of learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of with a direction to the District Magistrate, patna to initiate process on the application of the petitioner for grant of Arms Licence and pass final orders in accordance with law, positively within two months from the date of receipt/production of copy of this order."

माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा अपने पत्रांक-840/गो०, दिनांक-01.06.2013 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन एवं पुलिस प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में अंकित है कि वे व्यवसाय करते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी द्वारा थानाध्यक्ष, खाजेकलां के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का उक्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, खाजेकलां द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक उर्दू प्राथमिक विद्यालय, चौक, पटना में प्राथमिक सहायक शिक्षक के पद पर हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-11 में एन०पी०बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-11 की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.


e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो० आफताब आलम, पिता-मो० हबीबुर्रहमान, सा०-33 सदर गली, बनवारी टोला, थाना-खाजेकलां, जिला-पटना के आवेदित एक दो नाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही आवेदक को अपनी पूर्व की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को मेसर्स सिटी फायर आर्म्स, मउआर लेन, सुलतानगंज, पटना में जमा करने के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।